UPET010006812007

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03, एटा।

उपस्थित - 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code U.P. 2690

जी0 एस0 टी0 संख्या-105/2007

उ0प्र0 राज्य

-----अभियोजन पक्ष

-बनाम-

1-श्यामवीर पुत्र नेत्रपाल **------(अभियुक्त श्यामवीर की पत्रावली आदेश दिनांकित 14.10.2022 के माध्यम से पृथक की गयी।)**

2-धर्मवीर पुत्र जयपाल

निवासीगण-नगला भूड़, थाना निधौलीकलाॅ, जिला एटा।

3-कल्लू उर्फ योगेश पुत्र पूरन देव

निवासी-सोगरा, थाना पिलुआ, जिला एटा। **------(अभियुक्त कल्लू उर्फ योगेश की पत्रावली आदेश दिनांकित 02.12.2009 के माध्यम से पृथक की गयी।)**

4-रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज

निवासी-लालगढ़ी, थाना सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस।

5-मन्जीत पुत्र कप्तान सिंह

निवासी-शेखपुरा, थाना बागवाला, जिला एटा, हाल सरकारी आवास, जिला पंचायत परिषद, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा। **------(अभियुक्त मन्जीत की पत्रावली आदेश दिनांकित 14-10-2022 के माध्यम से पृथक की गयी।)**

6-तेजवीर सिंह पुत्र गीतम सिंह

7-सुखवीर पुत्र जयपाल सिंह,

निवासी-नगला भूड़, थाना निधौलीकलाॅ, जिला एटा।

---------अभियुक्तगण

अपराध संख्या-43/2007

आरोप पत्र की धारा-2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986

थाना-निधौलीकलाॅ, जिला एटा।

संक्षिप्त विवरण	
जी0 एस0 टी0 संख्या	105/2007
अपराध संख्या	43/2007
धारा	2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना	निधौलीकलाॅ
अभियुक्त	रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, सुखवीर, तेजवीर एवं धर्मवीर

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.04.02 16:22:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतिनिधित्व (अभियोजन)	श्री अरूण माहेश्वरी एवं श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
प्रतिनिधित्व (अभियुक्त)	श्री निशान्त पुण्डीर, एडवोकेट
घटना की तिथि	भिन्न–भिन्न
प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि	24.02.2007
आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि	आरोप पत्र संख्या 27/2007, दिनांक 15–04–2007, आरोप पत्र संख्या–27ए/2007, दिनांक 16–05–2007
प्रसंज्ञान की तिथि	16.05.2007
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	29.03.2017
निर्णय की तिथि	02–04–2026
निर्णय का परिणाम	दोषमुक्त

–निर्णय–

1– जी0एस0टी0 संख्या–105/2007, राज्य बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र आदि, अ0सं0–43/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा में अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, सुखवीर, तेजवीर एवं धर्मवीर का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस0ओ0, श्रवण कुमार यादव, थाना निधौलीकलॉ ने दिनांक 24.02.2007 को जुबानी सूचना थाना निधौलीकलॉ, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

वह एस०ओ० श्रवण कुमार यादव मय कां0 591 राजवीर सिंह मय जीप सरकारी चालक कां० अंगद सिंह के वास्ते गश्त व शान्ति व्यवस्था व भ्रमण, चुनाव सम्बन्धी वहवाले रपट संख्या–22, समय 12:10 बजे दिन दिनांक 24.02.2007 को थाने से रवाना होकर इलाका थाना हाजा में मामूर था कि दौरान भ्रमण व गश्त इलाका थाना हाजा में जानकारी मिली कि श्यामवीर पुत्र नेत्रपाल निवासी नगला भूड़, थाना निधौलीकलॉ, जनपद एटा व कल्लू उर्फ योगेश पुत्र पूरन देव शर्मा निवासी–ग्राम सोंगरा, थाना पिलुआ, जिला एटा, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज सिंह निवासी लालगढ़ी, थाना सिकन्द्रराऊ, जिला हाथरस, तेजवीर पुत्र गीतम सिंह, सुखवीर पुत्र जयपाल सिंह, धर्मवीर पुत्र जयपाल सिंह, निवासीगण नगला भूड़, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा व मन्जीत पुत्र कप्तान सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा, थाना बागवाला, जिला एटा हाल पता सरकारी आवास जिला पंचायत परिषद, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा का एक संगठित गिरोह है। यह लोग एक गिरोह के रूप में हत्या, हत्या करने का प्रयास लूट आदि जैसे जघन्य अपराध व समाज विरोधी क्रियाकलाप कार्य कर समाज में भय व आतंक पैदा करते है। थाना क्षेत्र एवं आस–पास के थाना क्षेत्र व जनपद में आम जनता में इनके क्रियाकलापो के कारण भय एवं आतंक व्याप्त है। इनके भय व आतंक के कारण आम जनता का व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने व थाने में रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं करता है। इनका गैंग आम जनता में भय व आतंक का पर्याय बना हुआ है। इस गैंग का गैंग लीडर श्यामवीर उपरोक्त है। यह लोग स्वयं एवं अपने अन्य साथियों के साथ अपराध करने में सक्रिय है। यह गैंग व इनके साथी भा0दं0सं0 के अध्याय 16,17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के आदी है। इनकी ख्याति समाज में एक कुख्यात गिरोह के रूप में है। यह लोग

संगठित होकर जघन्य अपराध करके अवैध रूप से धनोपार्जन करते हैं। इस गैंग का स्वच्छंद रहना जनहित में नहीं है। आपराधिक इतिहास अभियुक्त श्यामवीर अ0सं0–06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0, अ0सं0–83/2006, धारा 394,302 भा0दं0सं0 , एन0सी0आर0 नं0–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0, अभियुक्त कल्लू उर्फ योगेश अ0सं0–06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0, अ0सं0–83/2006, धारा 394,302 भा0दं0सं0, अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र अ0सं0 06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0, अ0सं0 83/2006, धारा 394,302 भा0दं0सं0, एन0सी0आर0 नं0–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0 व अपराध संख्या 313/2006, धारा 307,384 भा0दं0सं0, अभियुक्त तेजवीर अ0सं0 06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0, अ0सं0 157/2005, धारा 417,511 भा0दं0सं0, सुखवीर अ0सं0 06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0, धर्मवीर अ0सं0–06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0 व एन0सी0आर0 नं0–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0, मंजीत अ0सं0 06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0दं0सं0 व एन0सी0आर0 नं0–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0 पंजीकृत है। उपरोक्त अभियुक्तों का यह कृत्य धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अधिनियम 1986 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

3– मु०अ०सं०–06/2007, धारा 147,148,307,504,506 भा0दं0सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम श्यामवीर, कल्लू उर्फ योगेश, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, तेजवीर, सुखवीर, धर्मवीर एवं मन्जीत, मु०अ०सं०–83/2006, धारा 394,302 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर एवं कल्लू उर्फ योगेश, एन०सी०आर०–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र एवं श्यामवीर, अ०सं०–313/2006, धारा 307,384 भा0दं0सं0 बनाम रिन्कू उर्फ शैलेन्द्र एवं अ०सं०–157/2005, धारा 417, 511 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम तेजवीर के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ0सं0–43/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम श्यामवीर, कल्लू उर्फ योगेश, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, तेजवीर, सुखवीर, धर्मवीर एवं मन्जीत के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–02** दिनांक 24.02.2007 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0डी0 रपट नं0–25, समय 14:30 **प्रदर्श क–07** पर किया गया।

4– प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण श्यामवीर, धर्मवीर, कल्लू उर्फ योगेश, मंजीत एवं रिंकू उर्फ शैलेन्द्र के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–04 एवं** अभियुक्तगण तेजवीर एवं सुखवीर के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–06** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा अभियुक्तगण श्यामवीर, धर्मवीर, कल्लू उर्फ योगेश, मंजीत एवं रिंकू उर्फ शैलेन्द्र आरोप पत्र संख्या–27/2007 दिनांकित 15–04–2007 **प्रदर्श क–03** एवं अभियुक्तगण तेजवीर एवं सुखवीर आरोप पत्र संख्या–27ए/2007 दिनांकित 16–05–2007 **प्रदर्श क–05** विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, आगरा द्वारा दिनांक 16.05.2007 को प्रसंज्ञान लिया गया।

5– न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण श्यामवीर, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, सुखवीर, मंजीत, धर्मवीर व तेजवीर के विरूद्ध धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 29–03–2017 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

6– यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण कल्लू उर्फ योगेश, श्यामवीर, मंजीत की पत्रावली क्रमशः आदेश दिनांकित 02–12–2009 व 14–10–2022 के माध्यम से पृथक की गयी।

7– अभियेाजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 04 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी का नाम**	**विवरण**
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01	निरीक्षक श्रवण कुमार यादव	वादी/शिकायतकर्ता
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–02	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव	विवेचक
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03	उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह	तत्कालीन सी०सी०
अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–04	बबिता	स्वतंत्र साक्षी

8– अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

क्रम सं0	**प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श संख्या**	**अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।**
1	गैंगचार्ट	प्रदर्श क–01	पी0 डब्लू0–01 वादी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव
2	चिक एफ०आई०आर०	प्रदर्श क–02	पी0 डब्लू0–01 वादी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव
3	आरोप पत्र संख्या–27/2007	प्रदर्श क–03	पी0 डब्लू0–02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव
4	अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश	प्रदर्श क–04	पी0 डब्लू0–02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव
5	आरोप पत्र संख्या–27ए/2007	प्रदर्श क–05	पी0 डब्लू0–02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव
6	अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग चलाये जाने हेतु	प्रदर्श क–06	पी0 डब्लू0–03 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव

	अनुमति आदेश		
7	जी0 डी0 संख्या–25	प्रदर्श क–07	पी0 डब्लू0–4 उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह
8	चिक एफ०आई०आर० अ०सं०–06/2007	प्रदर्श क–08	पी0 डब्लू0–4 उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह

9– अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 01.07.2025 को अंकित किया गया, जिसमें प्रत्येक अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 एवं पी०डब्लू0–02 के कथानक को गलत बताया है। साक्षी पी0 डब्लू0–03 के कथानक को गलत तथ्यों पर आधारित था, जोकि न्यायालय से उन्मोचित हो चुके हैं। साक्षी पी०डब्लू०–04 के कथानक को गलत बताया है। मुकदमा को रंजिशन चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए स्वयं को झूॅठा फंसाया गया है।

10– अभियुक्तगण की ओर से सफाई/साक्ष्य में कागज संख्या 123 ब से अ०सं०–83/2006, धारा 394, 302 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा से सम्बन्धित एस०एस०टी० सं०–26/2007 राज्य बनाम श्यामवीर आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 28–08–2009 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 123 ब/2 लगायत 123 ब/4 एवं फेहरिस्त 124 ब से अ०सं०–06/2007, धारा 147, 148, 149, 504, 506, 307 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–679/2008 राज्य बनाम श्यामवीर आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 02–06–2010 की छाया प्रति कागज संख्या 124 ब/3 लगायत 124 ब/18 एवं अ०सं०–313/2006 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–185/2018 में पारित निर्णय दिनांकित 15–07–2024 की छाया प्रति कागज संख्या 125 ब/1 लगायत 125 ब/6 दाखिल किया गया है।

11– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

12– अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी0 डब्लू0–01 वादी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21–02–2007 को थानाध्यक्ष निधौलीकलॉ पर तैनात रहे थे। उस दिन उसके द्वारा एक गैंगचार्ट जिसका गैंगलीडर श्यामवीर सिंह पुत्र नेत्रपाल निवासी नगला भूड़, थाना निधौलीकलॉ जिला एटा व सदस्य कल्लू उर्फ योगेश पुत्र पूरन देव शर्मा, निवासी सोंगरा, थाना पिलुआ जिला एटा व सदस्य रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज सिंह यादव निवासी लालगढ़ी थाना सिकन्द्रराऊ जिला हाथरस व सदस्य तेजवीर सिंह पुत्र गीतम सिंह व सुखवीर व धर्मवीर पुत्रगण जयपाल सिंह, निवासीगण नगला भूड़, थाना निधौलीकलॉ जिला एटा व सदस्य मंजीत पुत्र कप्तान सिंह निवासी शेखपुरा थाना बागवाला जिला एटा, हाल सरकारी आवास जिला पंचायत कोतवाली नगर एटा के विरुद्ध अ०सं०–6/2007 धारा 147, 148, 307, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध व अपराध सं०–83/2006 धारा 394, 302 भा०दं०सं० थाना निधौलीकलॉ अभियुक्त गण श्यामवीर, कल्लू व रिंकू के विरुद्ध व एन०सी०आर० नं०–03/2007 धारा 504, 506 भा०दं०सं० थाना निधौलीकलॉ अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर, धर्मवीर व मंजीत व अ०सं०–313/2006 धारा 307, 384 भा०दं०सं० थाना कोतवाली नगर

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

एटा सदस्य रिंकू उर्फ शैलेन्द्र के विरुद्व व अ०सं०–157/2005 धारा 417,511 भा०दं०सं० थाना कोतवाली नगर एटा सदस्य तेजवीर सिंह के विरुद्ध दर्ज होने की वजह से व मुल्जिमान का जनता में डर भय व आंतक था। सभी मुल्जिमान का एक संगठित गिरोह था, जो जनता में हत्या, लूट जैसे अपराध करके जनता में भय व्याप्त करके अवैध रुप से धनोपर्जन करते थे, इसलिए गैंगस्टर एक्ट में अन्तर्गत निरुद्ध करने हेतु नियमानुसार गैंगचार्ट की संतुति सी०ओ० जलेसर, अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक़ एटा द्वारा की गयी थ़ी जिसका अनुमोदन जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा दिनांक 24–02–2007 को किया गया था। गैंगचार्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में पत्रावली में संलग्न है, जिस पर उसके पद नाम की मुहर लगी है। गैंगचार्ट असल पत्रावली पर कागज सं०–5अ संलग्न है, गैंगचार्ट पर प्रर्दश क–01 डाला गया। अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट प्राप्त होने पर दिनांक 24–02–2007 को अपने साथ हमराही कां० राजवीर सिंह मय जीप सरकारी चालक कां० अंगद सिंह के वास्ते से गस्त व शान्ती व्यवस्था में चुनाव सम्बन्धी के थाने से रपट सं0–22 समय 12:10 बजे थाने से रवाना होकर इलाका थाना हाजा मे मामूर था। दौरान भ्रमण जानकारी मिली की शयामवीर सिंह अपने सदस्य कल्लू, रिंकू, तेजवीर, सुखवीर, धर्मवीर व मंजीत का एक संगठित गिरोह है, जो गिरोह के रुप में हत्या लूट, हत्या करने का प्रयास करने जैसे संगीन अपराध करके समाज विरोधी क्रिया कलाप करके क्षेत्र भय व आंतक फैलाते है व आर्थिक लाभ कमाते है। बाद जाँचोपरान्त थाना निधौलीकला पर गैंगचार्ट दाखिल किया था, जिसमें वर्णित तथ्यों व सूचना जुबानी के आधार पर मुकदमा अ०सं०–43/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम श्यामवीर आदि सात व्यक्ति की चिक एफ०आई०आर० उसके द्वारा सी०सी० तहसीलदार से बोलकर लिखायी गयी थी, जिसकी असल चिक एफ़०आई०आर० पत्रावली पर कागज सं०–4अ संलग्न है, जिसपर उसके हस्ताक्षर है, जिस पर प्रर्दश क–02 डाला गया। विवेचक ने को उसका बयान लिया था।

13– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि गैंगस्टर के एफ०आई०आर० का वादी वह है। उसके द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर मुकदमा लिखा गया था। गैंगचार्ट में जो मुकदमें दर्शाये गये है, उन मुकद्दमों के कागजात उसके द्वारा एकत्रित किये गये थे। उसने एफ०आई०आर० देखी थी व चार्जशीट देख कर मुकदमा तैयार किया था। जब गैंगचार्ट तैयार किया था, तब वह निधौलीकलॉ थाना पर तैनात था। उसने इन लोगों के विरुद्ध जाँच की थी तथा जनता द्वारा इन के सम्बन्ध में बताये जाने पर उसने गैंगचार्ट में अवैध धनोपार्जन करने बावत दर्ज किया था। भम्रण के समय उसे जिन लोगों ने इनके बारे में बताया था, उनका नाम उसे याद नहीं है। अ०सं०–83/2006 धारा 394,302 भा०दं०सं० थाना निधौलीकलॉ में अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र आदि के विरुद्ध उसके द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जो कि अज्ञात में पंजीकृत था। अभियुक्तगण विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे। इस मुकदमें में उसकी गवाही हुई थी या नहीं उसे याद नहीं है। उसे यह भी संज्ञान नहीं है कि इस मुकदमें में न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण बरी हो गये है। उसने गैंगचार्ट के साथ मुकद्दमों की चार्जशीट की कापी दाखिल की थी या नहीं, उसे ध्यान नहीं है। किन्तु एफ०आई०आर० की कांपी दाखिल की थी। उपरोक्त गैंगचार्ट में उसने गैंगलीडर श्यामवीर को दर्शाया था। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि जो गैंग उसने गैंगचार्ट में दर्शाया है, वह पुलिस अभिलेखो में दर्ज है या नहीं। उसे उच्च अधिकारियों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही के लिए नहीं कहा गया था। थाने के रिकार्ड देखकर व जनता के व्यक्तियों के सूचना देने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। उसे यह ध्यान नहीं है कि वह जनता के लोग कौन थे या उनके विरोधी थे या नहीं। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमान के विरोधियों के कहने पर तथा उच्च अधिकारियों के दबाव के चलते मुकदमा पंजीकृत कराया है। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिमान के बावत कोई जाँच पड़ताल न की हो और थाने पर बैठकर ही सारी कार्यवाही की है। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा है।

14– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–02 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राम प्रकाश यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 01–03–2007 को थाना जलेसर पर उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उस दिन मुकदमा अपराध सं०–43/2007 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना निधौलीकलाॅ बनाम श्यामवीर आदि की विवेचना उसे दी गयी थी। पर्चा न० 2 दिनांक 01–03–2007 को विवेचना ग्रहण करने का अध्ययन किया। दिनांक 03–03–2007 को पर्चा न० 3 किता किया गया। वादी श्रवण कुमार का बयान लिया और उसी दिन एच0 एम0 सोपाली सिंह कां० तहसीलदार से उपनिरीक्षक चन्द्रपाल सिंह के बयान लिखे। श्रीमती बबिता पत्नी राजीव गुप्ता निधौलीकलाॅ व संजीव कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता के बयान लिये व उसी दिन एस०आई० प्रितम सिंह निधौलीकलाॅ के बयान लिये। पर्चा न० 4 दिनांक 15–03–2007 को किता किया गया। इसमे श्रीराम स्नेही पुत्र मठरुलाल निवासी–किलरमउ थाना बागवाला एटा का बयान लिया गया। पर्चा न० 5 दिनांक 17–03–2007 को किता किया, जिसमें प्रवेन्द्र कुमार व एच०सी० जितेन्द्र सिंह के बयान लिये। पर्चा नं० 6 दिनांक 18–03–2007 को किता किया, जिसमें अभियुक्तगण तेजवीर व सुखवीर के गिरफ्तारी हेतु दविश दी गयी। पर्चा न० 7 दिनांक 22–03–2007 को अभियुक्तगण तेजवीर व सुखवीर के न्यायालय से गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी कराये गये। पर्चा नं० 8 दिनांक 15–04–2007 को किता किया गया। वह श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप लगाकर अभियुक्तगण श्यामवीर पुत्र नेत्रपाल धर्मवीर पुत्र जयपाल निवासी–नगला भूड़ थाना निधौलीकला, कल्लू ऊर्फ योगेश पुत्र पूरनदेव निवासी–सोंगरा थाना पिलुआ व मंजीत पुत्र कप्तान सिंह निवासी–शेखपुरा थाना बागवाला हाल निवासी–सरकारी आवास जिला पंचायत परिषद जिला एटा व रिंकू ऊर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज निवासी–लालगढी सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने व मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए निवेदन किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट 1986 का अपराध प्रथम दृष्ट्या पाया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय राधा श्रीवास्तव एटा द्वारा 04–04–2007 को आदेश अनुमति किया गया, जिसे उसने आरोप पत्र व चार्जशीट के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली में कागज सं० 3 क 11 उसके हस्तलिखित व हस्ताक्षरित है, जिस पर प्रदर्श क–03 पहले से अंकित है तथा अनुमति पत्र प्रदर्श क–04 डाला गया, जो पत्रावली मे कागज सं० 6क/1 है। तत्पश्चात दिनांक 01–05–2007 को एक तितम्मा पर्चा अभियुक्तगण तेजवीर सिंह पुत्र गीतम सिंह निवासी नगला भूड़ व सुखवीर सिंह पुत्र जयपाल सिंह निवासी नगला भूड़ थाना निधौलीकलाॅ के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट गिरफ्तारी के संबंध में दाखिल की थी, जिसमे आदेश दिनांक 20–03–2007 की छाया प्रति थाना निधौलीकला के माध्यम से प्राप्त हुई। रिट पेटीशन न० 3630/07 के आदेश की छाया प्रति संलग्न की अभियुक्तगण के बयान अंकित किये और उपरोक्त दोनों अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गई और जिसकी अनुमति तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लिखित दी। पत्रावली मे आरोप पत्र कागज सं० 3क/2 है, इस पर प्रदर्श क–05 डाला गया और अनुमति पत्र पर प्रदर्श क–06 डाला गया।

15– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसने विवेचना सन 2007 में ग्रहण की थी। दिन महीना नहीं बता सकते। मुकदमा थानाध्यक्ष निधौलीकलाॅ द्वारा पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष उससे जूनियर थे या सीनियर थे, वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह थाना जलेसर पर तैनात था। उसने निधौलीकलाॅ जाकर कागजो का परिशीलन किया था। मुल्जिमान का गैंग रजिस्टर्ड नहीं था, जो मुकदमें उक्त अभियुक्त पर लगे थे, उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की थी। मुल्जिमान पर लूट और 302 भा०दं०सं० का मुकदमा दर्ज था। उसने यह जानकारी नहीं की थी कि लूट की धारा हटा दी गई है। वह मुल्जिमानों के गाँव नहीं गया था। उसने यह जानकारी की थी कि मुल्जिमान की समाजिक छवि के बारे में पूछताछ की थी, कुछ लोग खड़े हुए थे, परन्तु

उन्होंने अपने गाँव नहीं बताया था और यह भी नहीं बताया था कि वे एटा जिले के रहने वाले है या बाहर के रहने वाले है। उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16, 17, 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया हो या समाज में भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चायें थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक का पर्याप्त बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। यह बात सही है कि उसने जनता के किसी निष्पक्ष जनसाक्षी का बयान अंकित नही किया है, क्योकि कोई बयान देने को तैयार नही था। उसने तहसीलदार का बयान दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने मुल्जिमानों की संपत्ति के बारे मे कोई तथ्य नहीं बताया था कि उन्होने संपत्ति बनाई है। उसने गैंगचार्ट मे दर्शाये गए मुकदमों के विवेचक से उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही, है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसे यह जानकारी नहीं कि मुल्जिमानों के सभी मुकदमें छूट गए है। उसने गैंगचार्ट को प्रमाणित नहीं कराया था, बल्कि थानाध्यक्ष श्रवण कुमार द्वारा प्रमाणित कराया गया था। वह उनके साथ नहीं गया था। उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमों ने अपराध करके संपति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना में नहीं दी। यह कहना गलत है कि उसने सारी विवेचना उच्चधिकारियो के दबाव मे थाने पर बैठकर ही कर दी। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है और गलत बयान दे रहा है।

16– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–03 उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 24–02–2007 को थाना निधौलीकलॉ पर बतौर का० क्लर्क तैनात था। उस दिन उसने थाना प्रभारी श्रवण यादव के मौखिक बोलने पर अ०सं०–43/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अभियुक्तगण श्यामवीर, कल्लू, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, तेजवीर, सुखवीर, धर्मवीर, मंजीत के विरूद्ध चिक एफ०आई०आर० किता की थी, जिसकी प्रविष्टि नं०–25 दिनांक 24–02–2007 पर खुलासा किया गया है। चिक एफ०आई०आर० 4क/1 उसके सामने है, प्रदर्श क–02 पहले से पड़ा हुआ है। जी०डी० पर प्रदर्श क–07 डाला गया। एफ०आई०आर० के साथ उसे थानाध्यक्ष ने अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट व चार्ट के मुकदमों की छायाप्रति दी थी। चार्ट में दिखलाया गया मु०अ०सं०–06/2007, धारा 147, 148, 149, 504, 506 भा०दं०सं० है, की चिक उसके द्वारा किता की गयी थी, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में कागज संख्या 17 व 18 है, जिस पर प्रदर्श क–08 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

17– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसे एफ०आई०आर० लिखने का आदेश लिखित में नहीं दिया गया, मौखिक बोला गया था। उसने इन मुल्जिमों के खिलाफ दो प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर एक्ट की एक ही दिन में किता की थी। दोनों एफ०आई०आर० के गैंगचार्ट एक ही थे या अलग–अलग थे, जानकारी नहीं है। उसने विवेचक को एक दिन में गैंगस्टर एक्ट के दो मुकदमें दर्ज करने वाली बात बतायी थी कि नहीं, ध्यान नहीं है। उसने एक अन्य मुकदमा अ०सं०–06/2007 इन्हीं मुल्जिमों के खिलाफ बल्वे की धारा में चिक किता की थी। उसने दोनों एफ०आई०आर० गैंगस्टर एक्ट में गैंगचार्ट अनुमोदन के आधार पर दर्ज की थी। यह कोई जरूरी नहीं है कि एस०ओ० के लिखित आदेश पर मुकदमा पंजीकृत है। वादी की तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत कर लेते हैं। यह कहना गलत है कि उसने उचाधिकारियों के दबाव में मुकदमा पंजीकृत किया है। यह भी कहना गलत है कि वह न्यायालय में झूॅठी गवाही दे रहा है।

18– अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–04 बबिता** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके पति राजीव को दिनांक 06.01.2007 को श्यामवीर, तेजवीर, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र व कल्लू ने दोपहर में करीब 01:35 पर गोली मारी थी, जब वो दुकान पर बैठे थे। उसके पति राजीव कुमार गुप्ता बिल्डिंग मटेरियल का काम करते थे। उसके पति गोलियां लगने से

घायल हो गये, शरीर में कई जगह गोलियां लगी थी। वह सामने मकान में अपनी गौक से घटना को देखा था। तब वह चीखती हुई मकान से नीचे आयी और तब मुल्जिमान वहां से धमकियां देते हुए भाग गये। यह कहते हुए भाग गये कि फिर कभी पैसो की मांग की तो जान से मार देगें। उसने घटना की रिपोर्ट लिखकर थाने में दी थी, जो पत्रावली में कागज सं०–17, 18 छायाप्रति के रूप में मौजूद है। इस पर उसका नाम बबिता लिखा हुआ है। घटना की रिपोर्ट उसने घर पर लिखवाकर तब थाने में दी, जो उसके पड़ोस में रहने वाले अनुज प्रताप सिंह ने उसके बताने पर लिखी थी। वही उसने थाने में देकर रिपोर्ट करायी थी। उसी की नकल करके थाने वालो ने रिपोर्ट लिखी थी, जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर है, इस पर प्रर्दश क–08 पहले से अंकित है। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

19– इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसके पति की दुकान व उसका घर आमने–सामने है, बीच में रोड है। उसका नाम एफ०आई०आर० में बतौर गवाह लिखा था, पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसका बयान पुलिस ने 6–7 तारिख को लिया था। महीना व सन में नहीं बता सकती। उसे अब यह ध्यान नहीं है कि उसकी गवाही आज से पहले 307 भा०दं०सं० थाना निधौलीकलॉ के मामले में किसी न्यायालय में हुई है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसके पति ने 307 भा०दं०सं० वाला मुकदमा न्यायालय में लड़ा है। वह पढ़ी लिखी है। गवाह को एफ०आई०आर० पढ़कर सुनाई गयी, जिसमें गवाह चश्मदीद साक्षी नहीं है, वादी मुकदमा है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि 307 भा०दं०सं० वाला मुकदमा छूट गया या नहीं। वह आज न्यायालय का सम्मन प्राप्त होने के बाद गवाही देने आयी है। यह कहना गलत है कि पैसे की लेन देन को लेकर मुल्जिमानों पर झूॅठा मुकदमा लिखा दिया है और यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

20– धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

1. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।
2. अभियुक्त द्वारा भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा 2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।
3. इन अपराधों को कारित करने का उद्वेश्य–
   (i)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या
   (ii)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0डी0पी0एस0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार

(निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0 दं0 सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विघ्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।

गैंग की परिभाषा–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

21– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्तगण का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्तगण पर हत्या, जबरन वसूली व हत्या का प्रयास जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–01 लगायत पी0 डब्लू0–04 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्तगण द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

22– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूँठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्तगण का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य नहीं है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उनके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–02 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16, 17, 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया हो या समाज में भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चायें थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक पर्याप्त बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। उसने तहसीलदार का बयान दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने मुल्जिमानों की संपत्ति के बारे मे कोई तथ्य नहीं बताया था कि उन्होने संपत्ति बनाई है। उसने गैंगचार्ट मे दर्शाये

गए मुकदमों के विवेचक से उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही, है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमों ने अपराध करके संपति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना में नहीं दी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें अ०सं०–83/2006, धारा 394, 302 भा०दं०सं० व अ०सं०–06/2007, धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506, अ०सं०–313/2006, धारा 384, 307 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण दोषमुक्त हो चुके हैं और निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

23– मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

–निष्कर्ष–

24– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, सुखवीर, तेजवीर एवं धर्मवीर के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उनके विरूद्ध दर्ज मु०अ०सं०–06/2007, धारा 147,148,307,504,506 भा0दं0सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, तेजवीर, सुखवीर, धर्मवीर, मु०अ०सं०–83/2006, धारा 394,302 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, एन०सी०आर०–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, अ०सं०–313/2006, धारा 307,384 भा0दं0सं0 बनाम रिन्कू उर्फ शैलेन्द्र एवं अ०सं०–157/2005, धारा 417, 511 भा०दं०सं०, थाना कोतवाली नगर, जिला एटा बनाम तेजवीर के आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अ०सं०–83/2006 से सम्बन्धित एस०एस०टी० संख्या–26/2007 में पारित निर्णय दिनांकित 28–08–2009 की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 123ब/2 लगायत 123ब/4 एवं अ०सं०–06/2007 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–679/2008 में पारित निर्णय दिनांकित 02–06–2010 की छाया प्रति कागज संख्या 124ब/3 लगायत 124ब/18 एवं अ०सं०–313/2006 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–185/2018 में पारित निर्णय दिनांकित 15–07–2024 की छाया प्रति कागज संख्या 125ब/1 लगायत 125ब/6 दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को अ०सं०–83/2006, अ०सं०–06/2007 एवं अ०सं०–313/2006 के मामलों में दोषमुक्त किया जा चुका है।

25– अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0डब्लू0–01 सेवानिवृत्त निरीक्षक श्रवण कुमार यादव को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–01 को अपने हस्ताक्षर एवं एफ०आई०आर० प्रदर्श क–02 को उसके द्वारा जुबानी बोलने पर सी०सी० तहसीलदार द्वारा किता किया जाना बताते हुए साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 02 पर कथन किया है कि उसने इन लोगों के विरुद्ध जाँच की थी तथा जनता द्वारा इन के सम्बन्ध में बताये जाने पर उसने गैंगचार्ट में अवैध धनोपार्जन करने बावत दर्ज किया था। भम्रण के समय उसे जिन लोगों ने इनके बारे में बताया था, उनका नाम उसे याद नहीं है। उपरोक्त गैंगचार्ट में उसने गैंगलीडर श्यामवीर को दर्शाया था। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि जो गैंग उसने गैंगचार्ट में दर्शाया है, वह पुलिस अभिलेखो में दर्ज है या नहीं।

26– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्तगण से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

27– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव पी0 डब्लू0–02 को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोप पत्र संख्या–27/2007 को अपने हस्ताक्षर से प्रदर्श–03 के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्तगण श्यामवीर, धर्मवीर, कल्लू उर्फ योगेश, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र एवं मंजीत के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–04 को तत्कालीन एस०एस०पी० द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने आरोप पत्र संख्या–27 ए/2007 को अपने हस्ताक्षर से प्रदर्श क–05 एवं अभियुक्तगण तेजवीर एवं सुखवीर के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–06 को तत्कालीन एस०एस०पी० राधा श्रीवास्तव द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–02 में कथन किया है कि उसने निधौलीकलॉ जाकर कागजो का परिशीलन किया था। मुल्जिमान का गैंग रजिस्टर्ड नहीं था, जो मुकदमें उक्त अभियुक्त पर लगे थे, उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की थी। उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16, 17, 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया हो या समाज में भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चायें थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक पर्याप्त बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। उसने तहसीलदार का बयान दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने मुल्जिमानों की संपत्ति के बारे मे कोई तथ्य नहीं बताया था कि उन्होने संपत्ति बनाई है। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–03 में कथन किया है कि उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमों ने अपराध करके संपति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना में नहीं दी।

28– इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

29– अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह को पी0 डब्लू0–03 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा अ०सं०–43/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट की एफ०आई०आर० प्रदर्श क–02, जी०डी० रपट नं०–25 प्रदर्श क–07 तथा अ०सं०–06/2007 की एफ०आई०आर० प्रदर्श क–8 को अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि उसने इन मुल्जिमों के खिलाफ दो प्रथम सूचना रिपोर्ट एक ही दिन में किता की थी।

30– प्रकरण में अभियोजन के द्वारा महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–04 बबिता को परीक्षित कराया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित मु०अ०सं०–06/2007 की वादिया मुकदमा है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 02 में कथन किया है कि उसके पति की दुकान व उसका घर आमने–सामने है, बीच में रोड है। उसका नाम एफ०आई०आर० में बतौर गवाह लिखा था, पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसका बयान पुलिस ने 6–7 तारिख को लिया था। महिना व

सन में नहीं बता सकती। इस साक्षी ने जिरह के पेज क्रमांक–02 में कथन किया है कि उसे अब यह ध्यान नहीं है कि उसकी गवाही आज से पहले 307 भा०दं०सं० थाना निधौलीकलॉ के मामले में किसी न्यायालय में हुई है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसके पति ने 307 भा०दं०सं० वाला मुकदमा न्यायालय में लड़ा है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उक्त मुकदमा (अपराध संख्या–6/2007) में अभियुक्तगण को विचारण उपरान्त दोषमुक्त किया जा चुका है।

31– पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी **सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव (पी0 डब्लू0–02)** के द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–02 में स्पष्टतः कथन किया गया है कि **उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16, 17, 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया हो या समाज में भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चायें थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक पर्याप्त बना हुआ है,** लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। **उसने तहसीलदार का बयान दर्ज किया था, लेकिन उन्होंने मुल्जिमानों की संपत्ति के बारे मे कोई तथ्य नहीं बताया था कि उन्होने संपत्ति बनाई है**। इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–03 में कथन किया है कि **उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमों ने अपराध करके संपति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना में नहीं दी।** अभियोजन **साक्षी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव (पी0 डब्लू0–01)** जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार पर प्रदर्श क–02 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है, उनके द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि उसने इन लोगों के विरुद्ध जाँच की थी तथा जनता द्वारा इन के सम्बन्ध में बताये जाने पर उसने गैंगचार्ट में अवैध धनोपार्जन करने बावत दर्ज किया था। भम्रण के समय उसे जिन लोगों ने इनके बारे में बताया था, उनका नाम उसे याद नहीं है।

32– इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राम प्रकाश यादव पी0 डब्लू0–02 एवं निरीक्षक श्रवण कुमार यादव पी०डब्लू०–01 के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि **अभियुक्तगण ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है ओर न ही भौतिक व आर्थिक रूप से सम्पत्ति कमायी गयी है।** इसी प्रकार भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

33– इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में दर्शित मु०अ०सं०–83/2006 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 123ब/2 लगायत 123ब/4) में पारित निर्णय दिनांकित 28–08–2009 एवं अ०सं०–06/2007 (निर्णय की छाया प्रति कागज संख्या 124ब/3 लगायत 124ब/18) में पारित निर्णय दिनांकित 02–06–2010 तथा अ०सं०–313/2006 (निर्णय की छाया प्रति कागज संख्या 125ब/1 लगायत 125ब/6) में पारित निर्णय दिनांकित 15–07–2024 के माध्यम से अभियुक्तगण को गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में वर्णित

Special Judge (Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

मामलों से दोषमुक्त किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक को अभियुक्तगण द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उनका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। **माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए0एच0सी0 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्तगण को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है।

34– इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा पुलिस मेनुअल के पैरा–253 व 254 के अनुपालन में कोई गिरोह पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त नसरू का कोई गिरोह था, जिसका इन्द्राज गिरोह पंजी रजिस्टर में था। प्रारूप संख्या–45 में भी गिरोह पंजी होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि गिरोह तथा गिरोह के सभी सदस्य थाने पर रखी जाने वाली गिरोह पंजी में नामित हैं।

35– इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–03 पर दिनांक 16–05–2007 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु शासनादेश संख्या–137 प्र०स0/6–पु०–11–2003–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004 प्रचलित था। उक्त शासनादेश के पैरा नं०–06 में स्पष्टतः उल्लेख है कि जिन मामलों के आधार पर उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी हे, उसी आधार पर पुनः कार्यवाही न की जाये, अर्थात किसी गिरोह के विरूद्ध उ०प्र० गिराहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बाद कोई नया आपराधिक कृत्य, जो इस अधिनियम के अपराधों की परिधि में हो, प्रकाश में आने पर ही उ०प्र० गिराहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में उल्लिखित अपराधों के आधार पर ही एक अन्य अपराध संख्या–44/2007 पंजीबद्ध हुयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब एक बार गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध हो गया तो पुनः उन्हीं अपराधों के आधार पर दूसरा अपराध भी पंजीबद्ध किया गया, जो कि विधिक रूप से सही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामले में ऋजु विवेचना नहीं की गयी है।

36– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

37– न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली

पर उपलब्ध नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–01 में उल्लिखित मामला अ०सं०–83/2006 व अ०सं०–06/2007 तथा अ०सं०–313/2006 के प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

–आदेश–

अभियुक्तगण **रिंकू उर्फ शैलेन्द्र**, **सुखवीर**, **तेजवीर** एवं **धर्मवीर** को जी0 एस 0 टी0 संख्या–**105/2007 उ0प्र0 राज्य बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र आदि**, मुकदमा **अपराध संख्या–43/2007**, थाना **निधौलीकलॉ**, जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव0–20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगें।

दिनांक 02–04–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 02–04–2026

(कमालुद्दीन)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690